# उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकृत संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, (सुजानपुरा) ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ



**रविन्द्र नाथ त्रिपाठी**
प्रदेश अध्यक्ष
सम्पर्क ☎ : 0551-2241716, मो0: 9415548535
पत्राचार : मो0 तिवारीपुर, निकट गायत्री मन्दिर, गोरखपुर

**अवधेश सिंह चौहान**
प्रदेश महामन्त्री
सम्पर्क ☎ : 05872-252057, मो0: 9415172656
पत्राचार : डी.सी. रोड, मो0 सिकटिहा, लखीमपुर-खीरी



* उपाध्यक्ष गण *

हरदेव शर्मा
(पश्चिमी जोन)
मो. 09412869499

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
मो. 09450223683

पुट्टी लाल यादव
(पूर्वी जोन)
मो. 09450088433

* कोषाध्यक्ष *

अमलेश कुमार शर्मा
मो. 09837062257

* संगठन मंत्री गण *

कृष्ण कुमार सिंह
(पश्चिमी जोन)
मो. 09058499749

सुशील कुमार श्रीवास्तव
(मध्य जोन)
मो. 09415525914

इफ्तखार अहमद
(पूर्वी जोन)
मो. 09450548706

* आडीटर *

राज किशोर अवस्थी
मो. 09936642639


पत्रांक :

दिनांक 13.10.14

**सेवा में,**

**माननीय मुख्यमंत्री महोदय,**
**उत्तर प्रदेश सरकार**
**लखनऊ।**

**विषय :- प्रदेश के राजस्व लेखपालों की लम्बित समस्याओं का सामायिक रूप से निराकरण न होने के कारण लखनऊ में आयोजित एक दिवसीय धरने में आम सभा द्वारा पारित निर्णय/अग्रिम आन्दोलन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि आपका ध्यान उक्त विषय की ओर आकृष्ट कराते हुये सादर अवगत कराऊँ कि लेखपाल संवर्ग की कतिपय प्रमुख समस्यायें विगत वर्षों से लम्बित हैं, जिनके निराकरण हेतु संस्था द्वारा समय-समय पर अनेक पत्राचार व वार्ताएं भी की गयी, परन्तु किसी भी रतर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने रो समस्यायें यथावत लम्बित हैं, उल्लेखनीय है कि संवर्ग की लम्बित समस्याओं के सामायिक निराकरण न होने से संवर्ग में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। वेतन समिति के विसंगति पूर्ण निर्णय से प्रदेश के ऐसे लेखपाल जिनकी सेवा 16 वर्ष की हो गयी है, उन्हें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 16 वर्ष की सेवा पर देय ए.सी.पी. की व्यवस्था दी गयी है, जो खेद जनक एवं अन्यायपूर्ण है। प्रारम्भिक वेतनमान, स्टेशनरी भत्ता व वाहन भत्ता आदि बहुत कम होने, पदोन्नति के नगण्य अवसर, पदों की रिक्तता से एक लेखपाल को एक साथ कई-कई हल्कों का एक ही निर्धारित समय में कार्यों का सम्पादन न हो पाने की स्थिति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्लेश तथा प्रतिफल के रूप में निलम्बन आदि

से लेखपाल संवर्ग उदासीन एवं आक्रोशित है।

तत्क्रम में ही संस्था की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 01–06–2014 में सर्वसम्मति से प्रतीकात्मक/सांकेतिक चरणबद्ध आन्दोलन का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुसार 16–8–2014 से दिनांक 13–10–2014 के मध्य पड़ने वाले तहसील दिवस व समाधान दिवसों का बहिष्कार करते हुये अपने–अपने हल्कों में उपस्थित रहकर लेखपाल कार्यों को सम्पन्न करेंगे तथा उक्त दिवसों में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण लेखपाल नहीं करेंगे। दिनांक 16–09–2014 एवं दिनांक 30–09–2014 को क्रमशः तहसील व जिला मुख्यालय पर धरना देकर महोदय को द्वारा उचित माध्यम ज्ञापन भेजकर माँगों के निराकरण की याचना करेंगे। इसके पश्चात् दिनांक 13–10–2014 को 326 उप शाखाओं, 75 शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव तथा 18 मण्डलों के मण्डलीय सचिव सहित केन्द्र समिति के पदाधिकारीगण लखनऊ में एक दिवसीय धरना देकर ज्ञापन देंगे।

प्रदेश कार्य समिति के उपरोक्त निर्णय की सूचना से सर्वप्रथम दिनांक 06–06–2014 एवं पुनः नोटिस दिनांक 28–07–2014 द्वारा महोदय सहित सभी उच्चाधिकारियों को संज्ञानित करा दिया गया था, संस्था के निर्णयानुसार चरणबद्ध प्रतीकात्मक/सांकेतिक विरोध स्वरूप कार्यक्रम सम्पन्न होने के दौरान ही दिनांक 28–08–2014 व 23–09–2014 को माननीय राजस्व परिषद तथा दिनांक 16–09–2014 व 09–10–2014 को शासन में संस्था शिष्ट मंडल से भेंट वार्तायें हुई, परन्तु किसी भी बिन्दु पर स्पष्ट निर्णय की कार्य वृत्त संस्था को उपलब्ध नहीं करायी गयी। वार्तायें अवश्य हुई, परन्तु किसी भी बिन्दु पर सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हो सके।

ज्ञातव्य हो कि वर्तमान समय में लेखपालों के ऊपर सर्वाधिक कार्यों का बोझ है, परिश्रम के मूल्यांकन के अनुरूप वेतनमान, सुविधायें व पदोन्नति व्यवस्था नगण्य है। उल्लेखनीय है कि देश के कई प्रान्तों में डेढ़ से दो ग्रामों पर एक लेखपाल कार्यरत है, वहीं उत्तर प्रदेश में एक लेखपाल को कम से कम 4 राजस्व ग्रामों में कार्य करना होता है। दो गुने कार्य करने के फलस्वरूप प्रदेश के लेखपालों का प्रारम्भिक वेतन एवं अन्य सुविधायें तथा पदोन्नति की व्यवस्था की स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना न्यायसंगत है। संवर्ग के सभी सदस्य महोदय के सानिध्य में न्याय की अपेक्षा रखते हैं।

वर्तमान समय में 95 प्रतिशत लेखपाल अपने मूल पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मात्र 5 प्रतिशत ही पदोन्नति प्राप्त कर पाते हैं। फलस्वरूप पूर्व घोषित आन्दोलन के अन्तिम चरण में आज दिनांक 13–10–2014 को एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम स्थान लक्ष्मण मेला पार्क, लखनऊ में शांतिपूर्वक आयोजित किया गया। संस्था के धरने में उपस्थित सदस्यों (जिन्हें संस्था संविधान में आम सभा कहा गया है), के द्वारा इतने लम्बे अंतराल तथा समस्याओं का निराकरण न किये जाने से भयंकर आक्रोश व्यक्त किया गया है और विवश होकर सर्व सम्मति से निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

1. संस्था द्वारा आन्दोलन विषयक पूर्व में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में दी गयी नोटिस दिनांक 28–07–2014 में उल्लिखित निर्णय के अनुसार तहसील दिवस, समाधान दिवस के दिनों में लेखपाल अपने हल्कों में उपस्थित रहकर कार्य सरकार करेंगे तथा उक्त दिवसों में प्राप्त शिकायती प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण नहीं करेंगे। पूर्व का निर्णय यथावत रहेगा।

2. दिनांक 14–10–14 से 30–11–14 तक प्रदेश के समस्त लेखपाल सभी प्रकार के आवेदन/शिकायती पत्रों (जन शिकायत, जन सूचना, लोकवाणी, आयुक्त, शासन, परिषद, मुख्यमंत्री संदर्भ, जाति, आय, निवास, हिस्सा, हैसियत, जमानत, वारिसान, उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र), सूखा राहत, निर्वाचन पर अपनी आख्या अंकित नहीं करेंगे।

3. प्रदेश के लगभग 8000 लेखपालों के रिक्त पदों का अतिरिक्त चार्ज तत्काल राजस्व निरीक्षकों को सौंप देंगे।

4. दिनांक 30–11–2014 तक समस्याओं का निराकरण न किये जाने पर प्रदेश के समस्त लेखपाल दिनांक 01–12–2014 से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करते हुये तहसील मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व शासन का होगा।

अस्तु, महोदय से विनम्र अनुरोध है कि संस्था द्वारा पूर्व प्रेषित मांग–पत्र दिनांक 28–07–2014 में उल्लिखित माँगों, ए.सी.पी. की विसंगति एवं राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली 2014 के भाग–2 के पैरा 4(4) को

निरस्त करने, राजस्व निरीक्षक पद को पूर्व व्यवस्थानुसार शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरने तथा वर्तमान में नियमावली के आधार पर सीधी भर्ती अथवा अन्य संवर्गों के आरक्षित अनुपात को चयन वर्ष (जुलाई से जून 12 मास) के आधार पर ही नियमावली के जारी होने की तिथि को ही आधार मानकर पदों का अवधारण करने हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये न्याय प्रदान कर संस्था को अनुगृहीत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
प्रदेश अध्यक्ष

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. माननीय राजस्व मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. गाननीय गुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व परिषद, लखनऊ।
4. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, (राजस्व) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, (वित्त) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, (कार्मिक) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, (न्याय) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, (गृह) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. माननीय आयुक्त एवं सचिव महोदय, राजस्व परिषद, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी महोदयान, उत्तर प्रदेश
11. समस्त प्रान्तीय पदाधिकारी/अध्यक्ष/सचिव, शाखायें, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ।
12. समाचार पत्रों को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
प्रदेश अध्यक्ष

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामंत्री